	पक्ष उपस्थित। वकील उभय- हेतु [illegible] वकील अप्रार्थी प्रार्थना [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 18/5/2017 को पेश हो। [illegible] 18/5/2017 उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / दीगर कार्य / अवकाश पर हैं। पत्रावली जवाब दिनांक 17/8/2017 को पेश हो। 17/8/2017 उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / दीगर कार्य / अवकाश पर हैं। पत्रावली जवाब दिनांक 30/11/2017 को पेश हो। 30/11/2017 उभयपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साहब दौरे पर / दीगर कार्य / अवकाश पर हैं। पत्रावली जवाब दिनांक 6/3/2018 को पेश हो।	
14.6.18	पत्रावली राजस्व बाबत अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प अनोपपुरा मे पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। वकील अप्रार्थी जवाब प्रस्तुत नहीं कर सिर्फ बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाता है। बहस सुनी गई लिखित मे विवरण इस प्रकार है कि मौजा खोमटीया का देवगढ प० ह० अनोपपुरा तहसील अपालगार की आ० स० 49, 50, 60, 61, 63 कुल किता 5 कुल रकबा 4.89 हे. जो हाल रेकार्ड मे अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 मृतक लेहरु की पुत्री है जो हरन प्रार्थी के बडे पिता है मृतक लेहरु के कोई जायन्दा पुत्र नही है व हमारे शामील शरीक रहते थे उनकी सेवा चाकरी मैने की बीमारी मे इलाज मैने करवाया। जिससे खुश होकर मृतक लेहरु जी ने मुझ प्रार्थी पैरबहस आराजियात मे से मुझ के हिस्से की 1/2 आराजियात मे से लेहरु आधा हिस्सा उन्होने उनके जीवनकाल मे बिकाव कर दिया तथा बाकी बच्या आधा हिस्सा खुद प्रार्थी को परिवेश्यो के बीच बटवारा पूर्व करके होश हवाश मे अप्रार्थी संख्या 1 के सामने मौखिक वसीयत की जिसके अत गैर खाता आराजियात मे बच्चे लेहरु जी के हिस्से पर मे व मेरे परिवार के उनके जीवनकाल मे ही काबिज है। अब अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो गयी है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज हो जाने से नियत खराब हो गयी है। जिस पर रजामंद परिवार को बकरार किया व अप्रार्थी संख्या 1 को गुजारा कायम हुआ जिस मे 2 बीघा आराजियात रखी बाकी बची आराजियात प्रार्थी के वसीयत अनुसार रखी। अप्रार्थी संख्या 1 के 2 बीघा ... बेच्यात ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुख्य प्रार्थी भी है। अप्रार्थी उपस्थित। श्री मिश्रत खत्नान होपाने के शेष बची आराजियात बेचान करने पर आमादा है। इस बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी उपस्थित। ने मौखिक बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को या तो गोद रखा गया है या कि वसीयत की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी के गोदनामा व वसीयत पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।	
	(अभिषेक गोयल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)	